सेवामे

12/7/19 पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित
अप्रार्थीगण के जरिये तामिलशुदा पूर्व मे
प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली है अप्रार्थी
नं. 1 व 3 की तरफ से राजेश सोलंकी ने पूर्व में
वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली
(मूलवाद) है। वकील अप्रार्थी नं. 1 तथा 3
एवं अप्रार्थी नं. 2 व 4 का जवाब प्रा० पत्र
हेतु समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते इन्तजार
जवाब प्रा० पत्र एवं बहस आर्डर दिनांक 19/8/19
को पेश हो।

सही· [illegible]
[illegible]

19/8/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
वकील अप्रार्थी नं. 1 व 3 का जवाब आदिनांक
तक अप्राप्त है अतः इनका जवाब बन्द किया
जाता है, अप्रार्थी नं. 2 की तरफ से कोई वकालतनामा
पेश नहीं किया गया अतः इनके विरुद्ध एक तरफा
कार्यवाही अमल में ली जाती है। सरकारी पैरोकार
मामले पक्षकार है अतः इनका जवाब बन्द
किया जाता है। वकील प्रार्थी की बहस
सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया
हस्तगत प्रकरण का निर्णय पृथक से लिखवाया
जाकर शामिल पत्रावली है। मिसल फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो
निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 19.8.19 को
सुनाया गया।

सही· [illegible]
[illegible]

Form No. III

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

नरेन्द्र नाथ बनाम सुरेन्द्र नाथ वगैरा

किस्म मुकदमा रा. वा. अन्तर्गत धारा 212 रा.का. अधिनियम 19...... प्र.सं. 23 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
12/3/19	वकील वादी उपस्थित । वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 19...... के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 12.3.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन	
12/3/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उप। अप्रार्थीगण के P/F बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 तथा 3 की तरफ से राजेश सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मूल वाद हो। अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से राजेश सोलंकी ने ouT ली है। तथा वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा है। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते जबाब एवं बाहस प्रा० पत्र आयंदा दिनांक 26/5/19 को पेश हो। SDOMJ	
26.5.19	पत्रावली पेश हुई ... अधिकारी महोदय, आज ... अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बेठक मे पधारे हुऐ है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आयन्दा दिनांक 12.7.19 को पेश हो। रीडर	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन

बइलजास शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 23/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. नरेन्द्रनाथ पुत्र भीकनाथ		1. सुरेन्द्रनाथ 2. इन्दरनाथ पि. भीकनाथ 3. जेठी पत्नि भीकनाथ 4. भूमिधारी तहसीलदार मा.जं.

निर्णय अन्तर्गत धारा– 212 राज. काश्तकारी अधिनियम तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

वकील प्रार्थी :– श्री श्याम लाल परिहार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः– 19/8/19

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा राणावास के खसरा नम्बर 803 रकबा 1.2646 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। जो कि वादग्रस्त आराजी है।

वादग्रस्त आराजी सभी सहखातेदारों के मध्य पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार पक्षकारों के मध्य बंटी हुई है तथा पक्षकार नजरी नक्शे अनुसार अपने–2 हिस्से में काबिज काश्त है एवं मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है। उक्त मौके पर प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर मकान बना हुआ है तथा गेट लगा हुआ है। उक्त हिस्से की भूमि पर प्रार्थी को अप्रार्थीगण बोने नहीं देते है जबकि वादग्रस्त भूमि पर 2 वर्ष पूर्व परिवार द्वारा बंटवाड़ा किया गया जिसमें प्रार्थी का नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार हक हिस्सा आता है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी के हक हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा किया जाकर अलग से रेकर्ड में तरमीम किया जावें। साथ ही वादग्रस्त आराजी में अप्राथीगण के साथ प्रार्थी का कटाई बुआई खडाई निर्माण आदि को लेकर मनमुटाव हो जाता है तथा बार–2 सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतः यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रस्पों0 के नोटिस बाद तामिल शामिल मिसल है।

अप्रार्थीगण सं. **1 तथा 3** की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेश सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से अण्डर टेकिगं ली गई। वकील अप्रार्थीगण की तरफ से आदिनांक तक जबाब पेश नहीं किया गया है, अतः इनका जबाब बंद किया जाता है साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से आदिनांक तक वकालतनामा मय जबाब पेश नहीं किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 4 औपचारिक पक्षकार है अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी का परिवार वालों के द्वारा करीब 2 वर्ष पुर्व हो चुका है जिसमें प्रार्थी अपने हक हिस्से में काबिज काश्त है।

सहायक कलेक्टर
मारवाड़ जंक्शन

अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से में प्रार्थी को बुआई कटाई एवं निर्माण आदि नहीं करने देते है। जिससे प्रार्थी अपने हक हिस्से में किसी प्रकार का निर्माण आदि करने से वंचित हो रहा है। चुंकि वादग्रस्त आराजी का परिवार जनों के द्वारा बंटवाडा किया जा चुका है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है साथ ही यदि प्रार्थी को उसके हक हिस्से में काश्त खेती अथवा निर्माण करने से रोका जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः अप्रार्थीगण को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा से बाधित किया जाना उचित है।

हमने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील की बहस पर मनन किया गया। चुंकि वकील वादी द्वारा यह जाहिर किया गया है कि वादग्रस्त आराजी का मौखिक बंटवाड़ा हो रखा है राजस्व रेकर्ड में यह पक्षकारान की सहखातेदारी की कृषि भूमि है। तथा राजस्व रेकर्ड में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई विधिक बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। अतः सभी पक्षकारान का वादग्रस्त आराजी के हर हिस्से के एक एक इंच पर हक निहित है। खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा देना न्याय संगत नही एवं विधि के विरूद्ध है। इस बात की पुष्टी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनवान त्रिलोक चंद बनाम विमला देवी नजीर RRD- 261 = 2007(1) RRT 103 RLW 2006 (2) RJ 1326 से भी होती है। जिसमे पारित निर्णय के अनुसार अप्रार्थी भूमि का दर्ज खातेदार है– अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर उसके विरूद्ध स्थगन नही दिया जा सकता है। साथ ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अनवान चावली वगै0 बनाम बलकी देवी वगै0 RRT 113 2016(1) में पारित निर्णय के अनुसार "....वादी तथा प्रतिवादी दोनो ने अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया–एक सह काश्तकार दूसरे सह काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा नहीं कर सकता ह– निर्णित निचले न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दोषपूर्ण है तथा अपास्त किये।...." अतः जब तक वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी का हक हिस्सा कहां पर निहित है, केवल मौखिक बंटवाड़े को विधि पूर्ण बंटवाड़ा नहीं कहा जा सकता जबतक कि उसका राजस्व रेकर्ड में तरमीम न हो जाये। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है। साथ ही सभी पक्षकारान वादग्रस्त आराजी पर काबिज है अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी के जारी करना विधि एवं कानून के विरूद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा काबिल खारिज है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी नरेन्द्रनाथ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी को खारीज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न मूल प्रार्थना पत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 19/2/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.02.21 14:25:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: